गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर ।

ई–नीलामी की सूचना

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ताल परियोजना के अन्तर्गत नया सवेरा पर प्लेटफार्म नं0–01 से 10 के बीच (जेट्टी को छोडकर) रिमोट कण्ट्रोल कार, सेल्फी प्वाइंट टॉय ट्रेन एवं फोटोग्राफी को संस्था/फर्म द्वारा स्वयं के संसाधनों सहित मासिक किराये पर संचालन के लिए ई–नीलामी हेतु दिनांक 28/02/2026 से दिनांक 30/03/2026 तक आनलाइन पंजीकरण खोला जा रहा है। ई–नीलामी से सम्बन्धित नियम शर्ते व अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट **www.gdagkp.in** पर उपलब्ध है, जिस पर इच्छुक संस्था/फर्म आनलाइन पंजीकरण कर सकते है। ई–नीलामी सम्पन्न होने की तिथि अलग से वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

(पुष्पराज सिंह)
पी0सी0एस0
सचिव

(आनन्द वर्द्धन)
आई0ए0एस0
उपाध्यक्ष

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ताल परियोजना के अन्तर्गत नया सवेरा पर प्लेटफार्म नं0–1 से 10 के बीच (जेट्टी को छोड़कर) रिमोट कण्ट्रोल कार, सेल्फी पॉइंट्स, टॉय ट्रेन एवं फोटोग्राफी को स्वयं के संसाधनों सहित संचालन हेतु नियम व शर्ते निम्नवत है :–

क्र0सं0	विवरण	दिनांक एवं समय
1	कार्य का नाम	रामगढ़ताल नया सवेरा पर प्लेटफार्म नं0– 1 से 10 के बीच (जेट्टी को छोड़कर) रिमोट कण्ट्रोल कार, सेल्फी पॉइंट्स, टॉय ट्रेन एवं फोटोग्राफी को स्वयं केसंसाधनों सहित संचालन हेतु
2	कार्य की अवधि	1 + 2वर्ष (एक्सटेंडेबल)
3	चयन प्रक्रिया	**H1 (Highest Cost Selection)**
4	ई–नीलामी में पंजीकरण करने की अवधि	21दिन
5	जमानत धनराशि	रू0–5,00,000.00 (रूपया पांच लाख)
6	न्यूनतम आरक्षित मासिक किराया	रू0– 1,02,291.00 (रूपया एक लाख दो हजार दो सौ इक्यानबे)
7	विड की धनराशि	रू0–10,000.00 (रूपया दस हजार)
8	ई–नीलामी में पंजीकरण करने की प्रारम्भ तिथि	28.02.2026
9	ई–नीलामी में पंजीकरण करने की अन्तिम तिथि	20.03.2026
10	ई–नीलामी संपन्न होने की तिथि	अलग से वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

1– प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ताल परियोजना के अन्तर्गत नया सवेरा पर प्लेटफार्म नं0– 1 से 10 के बीच (जेट्टी को छोड़कर) रिमोट कण्ट्रोल कार, सेल्फी पॉइंट्स, टॉय ट्रेन एवं फोटोग्राफी को स्वयं के संसाधनों सहित संचालन हेतु अनुज्ञा/लाईसेन्स के आधार पर स्थल उपलब्ध कराया जायेगा। सेल्फी पॉइंट्स एवं फोटोग्राफी को प्लेटफार्म नं0– 01 से 05 के बीच (जेट्टी को छोड़कर) तथा रिमोट कण्ट्रोल कार एवं टॉय ट्रेन को प्लेटफार्म नं0– 06 से 10 के बीच ही संचालित किया जायेगा।

2– आवेदक को ई–नीलामी में भाग लेने के लिए रिमोट कण्ट्रोल कार, सेल्फी पॉइंट्स, टॉय ट्रेन एवं फोटोग्राफी हेतु निर्धारित पंजीकरण धनराशि रू0–5,00,000.00 जमानत धनराशि के रूप में जमा करना होगा । आवेदक के परिवार का कोई एक ही सदस्य नियमानुसार ई–नीलामी में भाग ले सकेगा ।

3– ई–नीलामी में भाग लेने वाले संस्था का प्राधिकरण में किसी प्रकार का कोइ बकाया नही होना चाहिए ।

4– रिमोट कण्ट्रोल कार, सेल्फी पॉइंट्स, टॉय ट्रेन एवं फोटोग्राफी के संचालन हेतु न्यूनतम आरक्षित किराया प्रतिमाह रू0–1,02,291.00 एवं विड की धनराशि रू0–10,000.00 निर्धारित है।

5– उक्त स्थल का आवंटन नियमानुसार उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में किया जायेगा। उच्चतम बोलीदाता द्वार ıपत्र निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर 03 माह का किराया एवं नियमानुसार जी0एस0टी0 अग्रिम के रूप में जमा कर नियमानुसार पंजीकृत अनुबन्ध निष्पादित कराने के पश्चात् कब्जा प्राप्त करना होगा। अनुबन्ध निष्पादित होने वाले समस्त व्यय का दायित्व लाईसेन्स धारक का होगा।

6– उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली स्वीकृत होने के उपरान्त यदि निर्धारित अवधि में वांछित धनराशि/किराया विलम्ब से जमा किया जाता है, तो देय धनराशि पर 15 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज देय होगा, जो अधिकतम तीन माह तक देय होगा । निरन्तर 03 माह तक किराये की धनराशि जमा न करने पर जमा जमानत धनराशि को जब्त कर आवंटन/लाईसेन्स उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा ।

7– उक्त अनुज्ञा/लाईसेन्स प्रथमतः 1वर्ष के लिए ई–नीलामी के माध्यम से दिया जायेगा, जिसका नवीनीकरण लाईसेन्स धारक का कार्य सन्तोष जनक होने पर प्राधिकरण द्वारा पुनः 02वर्ष के लिए (01वर्ष एक बार में) अनुज्ञा/लाईसेन्स की अविध बढ़ायी जा सकती है। कार्य की कुल अवधि 03वर्ष ही रहेगी। नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। किराये की धनराशि में प्रति वर्ष**SBI MCLR** (बैंक द्वारा नवीनतम जारी किया गया) **+1** प्रतिशत की वृद्धि के साथ लाईसेन्स धारक को प्राधिकरण कोष में किराया जमा करना होगा ।

8– लाईसेन्स धारक स्थल का उपयोग केवल अनुज्ञा (लाईसेन्स) में वर्णित प्रयोजन के संचालन हेतु करेगा। इसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य/प्रयोजन हेतु इसका प्रयोग नही किया जा सकेगा।

9– गतिविधि हेतु उपलब्ध कराये गये स्थल पर कोई क्षति कारित नही की जायेगी।

10– रिमोट कण्ट्रोल कार, सेल्फी पॉइंट्स, टॉय ट्रेन एवं फोटोग्राफी का संचालन विधि विहित प्रक्रिया एवं नियमानुसार किये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों/सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमति, रजिस्ट्रेशन एवं परमिट आदि प्राप्त करने का उत्तरदायित्व लाईसेन्स धारक का होगा एवं इस सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्ययों को लाईसेन्स धारक द्वारा वहन किया जायेगा। समस्त आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने के उपरान्त ही संचालन प्रारम्भ किया जायेगा।

11– रिमोट कण्ट्रोलकार, सेल्फी पॉइंट्स, टॉय ट्रेन एवं फोटोग्राफी को सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक कर्मचारियों के नियोजन का दायित्व भी लाईसेन्स धारक का होगा व इस सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्ययों को लाईसेन्स धारक द्वारा वहन किया जायेगा। लाइसेन्स धारक का यह दायित्व होगा कि उसके द्वारा प्रशिक्षित व अनुभव प्राप्त कर्मचारी को ही नियोजित किया जायेगा, जिनके द्वारा ही संचालित किया जायेगा। नियोजित कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी।

12– लाईसेन्स धारक को प्राधिकरण के पास जमानत धनराशि के रूप में जमा धनराशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। यदि लाईसेन्स धारक पर प्राधिकरण का किसी प्रकार का बकाया है, तो उसका समायोजन जमानत धनराशि से किये जाने हेतु प्राधिकरण स्वतन्त्र होगा।

13– रिमोट कण्ट्रोलकार, सेल्फी पॉइंट्स, टॉय ट्रेन एवं फोटोग्राफी को स्वयं के संसाधनो सहित संचालन हेतु निर्धारित नियम व शर्तो के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण को समय–समय पर निरीक्षण करने का अधिकार होगा और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं उनके द्वारा अधिकृत प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारी निरीक्षण करने के अधिकारी होंगे तथा संचालन किसी भाग/अंश में निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता अथवा निर्धारित नियम एवं शर्तो के उल्लंघन सम्बन्धी कोई कृत्य पाये जाने की दशा में प्राधिकरण, लाईसेन्स धारक को समुचित निर्देश निर्गत करने तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

14– प्राधिकरण को रिमोट कण्ट्रोलकार, सेल्फी पॉइंट्स, टॉय ट्रेन एवं फोटोग्राफी के संचालन हेतु समय–समय पर आवश्यक निर्देश जारी करने का अधिकार होगा तथा लाईसेन्स धारक को उक्त निर्गत निदेर्शो का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।

15– रिमोट कण्ट्रोलकार, सेल्फी पॉइंट्स, टॉय ट्रेन एवं फोटोग्राफी का सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन एवं आवश्यक रख–रखाव, साफ–सफाई आदि की व्यवस्था लाईसेन्स धारक की होगी तथा किसी अव्यवस्था, आकस्मिक घटना, दुर्घटना अथवा संयोग वश परियोजना का कोई ग्राहक, लाभार्थी, कर्मचारी अथवा कोई विजिटर क्षतिग्रस्त होता है तथा क्षतिपूर्ति का दावा करता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति करने का संपूर्ण दायित्व लाईसेन्स धारक का होगा।

16– लाईसेन्स धारक अथवा उसके कर्मचारीगण अतिथियों अथवा पर्यटकों के साथ दुर्व्यहार अथवा झगड़ा–फसाद नही करेंगे।

17– लाईसेन्स धारक रिमोट कण्ट्रोल कार, सेल्फी पॉइंट्स, टॉय ट्रेन एवं फोटोग्राफी के संचालन के अतिरिक्त किसी प्रकार अवैध अथवा अनैतिक कृत्य नही करेगा और न ही ऐसे अवैध एवं अनैतिक कृत्य किये जाने हेतु किसी को अनुमति या प्रश्रय प्रदान करेगा।

18– प्राधिकरण एवं लाईसेन्स धारक के मध्य निष्पादित लाईसेन्स को प्राधिकरण द्वारा लाईसेन्स धारक को बिना कोई कारण दर्शाये 30 दिन का नोटिस देते हुए समाप्त किया जा सकेगा। उपरोक्त स्थिति में लाईसेन्स धारक को किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति (कम्पनशेसन) देय नही होगा।

19– लाईसेन्स समाप्त होने/निरस्त किये जाने की दशा में लाईसेन्स धारक संचालन बन्द करते हुए यदिकोईउपकरण/सामग्री प्रथम पक्ष से प्राप्त किये है, तो उक्त सामग्री को यथा स्थिति में प्राधिकरण को वापस करनी होगी।

20– रिमोट कण्ट्रोल कार, सेल्फी पॉइंट्स, टॉय ट्रेन एवं फोटोग्राफी को स्वयं के संचालन हेतु लाईसेन्स धारक द्वारा सम्पत्ति की सुरक्षा एवं किसी दुर्घटना आदि के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति दिये जाने हेतु अपने व्यय पर लाईसेन्स धारक द्वारा सर्वग्राही इन्श्योरेन्स कराया जायेगा।

21– प्राधिकरण एवं लाईसेन्स धारक के मध्य निष्पादित लाईसेन्स में प्राविधानित नियम व शर्तो को लाईसेन्स धारक किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को हस्तान्तरित अथवा किरायेदारी (सबलेटिंग) पर देने का अधिकार नही होगा। उपरोक्त शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में प्राधिकरण को लाईसेन्स धारक द्वारा जमा करायी गयी जमानत की धनराशि को जब्त करते हुए निष्पादित किये गये लाईसेन्स को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त करने का अधिकार होगा व अन्य विधिक/दण्डात्मक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

22– रिमोट कण्ट्रोल कार, सेल्फी पॉइंट्स, टॉय ट्रेन एवं फोटोग्राफी के संचालन में स्थलों पर विधि एव नियमानुसार आवश्यक सभी सुरक्षा उपकरणों यथा अग्नि शमन उपकरण, पूर्ण सुसज्जित फर्स्ट ऐडबाक्स आदि की व्यवस्था का पूर्ण दायित्व लाईसेन्स धारक का होगा ।

23– रिमोट कण्ट्रोल कार, सेल्फी पॉइंट्स, टॉय ट्रेन एवं फोटोग्राफी के अधीन संचालित सेवाओं एवं सुविधाओं से सम्बन्धित सभी स्थानों का समुचित रख–रखाव, साफ–सफाई आदि की व्यवस्था का पूर्ण दायित्व लाईसेन्स धारक अपने व्यय पर स्वयं वहन करेगा।

24– यदि विकास प्राधिकरण/नगर निगम/सिचाई विभाग/शासन द्वारा एवं माननीय न्यायालय द्वारा लाईसेन्स धारक को आवंटित स्थल/परिसर के सम्बन्ध में कोई आदेश/निर्देश निर्गत किये जाते है या कोई नियम एवं शर्त निर्धारित की जाती है, जिससे आवंटित स्थल प्रभावित हो तो इन नियमों/शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जायेगी जो लाईसेन्स धारक को मान्य/बाध्य होगी। इस सम्बन्ध में लाईसेन्स धारक को प्राधिकरण से किसी भी प्रकार का प्रतिकर पाने का कोई अधिकार नही होगा।

25– रिमोट कण्ट्रोल कार, सेल्फी पॉइंट्स, टॉय ट्रेन एवं फोटोग्राफी के संचालनके समय मद्यपान (सूखा नशा व गीला नशा) करना निषेध होगा तथा पर्यटक भी यदि नशे की स्थिति में होने पर उन्हें रिमोट कण्ट्रोल कार, टॉय ट्रेन पर बैठाना वर्जित होगा।

26– रिमोट कण्ट्रोल कार, सेल्फी पॉइंट्स, टॉय ट्रेन एवं फोटोग्राफी के संचालन एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में पर्यावरण सम्बन्धी कानूनों का अनुपालन लाईसेन्स धारक को सुनिश्चित करना होगा।

27– विद्युत कनेक्शन लाईसेन्स धारक द्वारा स्वयं लिया जायेगा और उसका भुगतान ससमय करना होगा।

28– शर्तो आदि के सम्बन्ध में विवाद होने पर उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर आर्बीटेटर होगें और उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर का निर्णय ही अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा ।

29– लाईसेन्स धारक द्वारा उपरोक्त समस्त नियम एवं शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार उल्लिखित किसी एक अथवा अधिक नियम एवं शर्तो का लाईसेन्स धारक द्वारा उल्लंघन किये जाने पर अथवा किसी कानून का उल्लंघन किये जाने पर अथवा शासकीय तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से अनुपालन न किये जाने पर अथवा

सन्तोषजनक सेवा व व्यवस्था प्रदान न किये जाने की स्थिति में जमा समस्त जमानत धनराशि जब्त करने व अन्य विधिक/दण्डात्मक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को होगा। ऐसी दशा में लाईसेन्स धारक को कोई क्षतिपूर्ति या मुआवजा देय नही होगा।

30– निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर अथवा उनके द्वारा विधि पूर्वक अधिकृत किसी भी अधिकारी को अपरिहार्य परिस्तिथि में यह पूर्ण अधिकार होगा कि वे किसी भी चरण पर, बिना कोई कारण बताए, समझौता/अनुबंध के निष्पादन से पूर्व संपूर्ण निविदा प्रक्रिया को रद्द, निरस्त, स्थगित अथवा वापस ले सकें। ऐसी स्थिति में किसी भी निविदाकर्ता को किसी प्रकार का मुआवजा, लागत, हर्जाना अथवा अन्य किसी भी प्रकार का दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा। इस संबंध में प्राधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी एवं अपील के परे होगा।

31– रिमोट कण्ट्रोल कार, सेल्फी पॉइंट्स, टॉय ट्रेन एवं फोटोग्राफी का संचालन मा0 एन0जी0टी0 के नियमों/आदेशों के अधीन होगा।

32– किसी भी प्रकार के विवाद होने की दशा में न्यायिक क्षेत्र गोरखपुर होगा।

33– प्रपत्रों की जांच के बाद पात्र फर्म/संस्थानों कोई–नीलामी में प्रतिभाग करने के लिए वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

34– लाईसेन्स धारक द्वारा रामगढ़ताल में मत्स्य पालन एवं आखेट पर कोई प्रतिकूल प्रभाव एवं अवरोध नहीं करेगा।

35– अन्य महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें:

i. लइसेंसी किसी भी परिस्थिति में फुटपाथ और सर्विस रोड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, बदलाव या संशोधन नहीं करेगा और न ही करवाने की अनुमति देगा।

ii. स्ंचालन का समय पूर्वान्ह 10.00 बजे से रात 09 बजे तक रहेगा। संचालन के समय में किसी भी प्रकार की वृद्धि जी0डी0ए0 की पूर्व अनुमति के बिना नहीं होगी।

iii. लइसेंसी गतिविधियों के लिए केवल टिकट काउंटर के रूप में उपयोग किए जाने वाले अस्थायी शेड लगा सकता है। यह संरचनाएँ अस्थायी प्रकृति की होनी चाहिए तथा पर्यटकों/आगंतुकों की आवा–जाही, किसी भी वी.आई.पी. मूवमेंट या क्षेत्र में ट्रैफिक मूवमेंट में बाधा नहीं डालनी चाहिए। ये अस्थायी संरचनाएँ चलायमान होनी चाहिए और आवश्यकता पडने पर, विशेषकर वी.आई.पी. मूवमेंट के दौरान या जी.डी.ए. के निर्देशों पर तुरंत हटाई या स्थानांतरित की जानी चाहिए।

iv. सेल्फी पॉइंट और फोटोग्राफी जैसी गतिविधियाँ प्लेटफार्म नं. 1 से जेटी नं. 5 के बीच (जेट्टी को छोड़कर) संचालित की जाएँगी। जबकि आर.सी. कार, टॉय ट्रेन जैसी गतिविधियाँ प्लेटफार्म नं. 6 से जेटीनं. 10 के बीच संचालित की जाएँगी।

v. लाइसेंसी यह सुनिश्चित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व वहन करेगा कि सर्विस रोड पर की जाने वाली कोई भी गतिविधि सडक पर यातायात के प्रवाह में बाधा या अवरोध न उत्पन्न करे। सभी संचालन इस प्रकार प्रतिबंधित किए जाएँ कि वाहन आवागमन निर्बाध रूप से जारी रहे।

vi. लाइसेंसी गतिविधियों और सहायक कार्यों के संचालन, खरीद तथा रख रखाव से संबंधित सभी लागत एवं उत्तरदायित्व वहन करेगा।

vii. लाइसेंसी निर्धारित स्थानों पर जी.डी.ए. से उचित अनुमति प्राप्त कर संचालन करेगा।

viii. लाइसेंसी द्वारा क्रय किए गए उपकरणों का सुरक्षा ऑडिट कराना लाइसेंसी की जिम्मेदारी होगी।

36– फर्म/संस्थानों द्वारा अपलोड किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् है:–

a. ई–टेण्डर बेवसाइट आनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

b. पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 प्रमाणपत्र की छायाप्रति।

c. फर्म/संस्थाओं को कम से कम 03 वर्ष तक पेशे में होना चाहिए। (पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति)

d. ई–नीलामी में भाग लेने वाले संस्था का रिमोट कण्ट्रोल कार, सेल्फी पॉइंट्स, टॉय ट्रेन एवं फोटोग्राफी या इसी तरह की मनोरंजन गतिविधियों के संचालन का 03 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने वाली संस्था से भारमुक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।

e. नॉन ब्लैकलिस्टेड शपथ पत्र रू0–10.00 के स्टैम्प पेपर पर।

f. अद्यतन 03 वर्ष की **ITR** की छायाप्रति।

g. औसत वार्षिक टर्न ओवर रू0 – 10 लाख के अधिक (पिछले 03 वर्षों का)। टर्न ओवर को प्रमाणित करने के लिए बोलीदाता को यूडीआईएन के साथ सी ए द्वारा प्रमाणित पिछले तीन वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा।